(14) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अधिनियम की धारा 4(एल)(बी) के तहत बख्शीश सिंह प्रतिवादी को उसके स्वैच्छिक इस्तीफे पर ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश पी. 1 और पी. 2 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश पी. 1 और पी. 2 रद्द कर दिया जाता है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

प्रेम चंद जैन, जे.-मैं सहमत हूं।

एस.सी.के.

एस.एस. सोढ़ी से पहले, जे.

ज्ञान सिंह अटवाल- याचिकाकर्ता।

बनाम

एस.एन.तिवारी और अन्य,-प्रतिवादी।

1983 का नागरिक संशोधन क्रमांक 742।

5 अप्रैल 1983.

शपथ अधिनियम (1969 का एक्सएलआईवी) - धारा 4 और 6 - गवाह एक विशेष रूप में शपथ लेने के लिए अनिच्छुक हैं - किराया नियंत्रक ऐसे गवाह को बर्खास्त कर रहा है - गवाह को रिहा करने का आदेश दे रहा है - की वैधता।

यह माना गया कि शपथ या प्रतिज्ञान का वह रूप जो एक गवाह को देना आवश्यक है, आवश्यक रूप से अनुसूची में दिए गए तक ही सीमित नहीं है। धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार, यह व्यक्तियों के उस वर्ग के लिए सामान्य रूप से भिन्न रूप में हो सकता है जिससे गवाह संबंधित है। इसके अलावा, किसी गवाह द्वारा कोई शपथ लेने या कोई प्रतिज्ञान करने में चूक या जिस रूप में शपथ या प्रतिज्ञान दिया जाता है उसमें कोई अन्य अनियमितता उसके साक्ष्य को अमान्य नहीं करेगी। इससे भी अधिक ऐसी चूक या अनियमितता से गवाह के सत्य बयान करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि केवल शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में अनियमितता जो एक गवाह कर सकता है या वास्तव में उसकी चूक या कोई शपथ लेने या कोई प्रतिज्ञान करने से इनकार करने से अदालत को उसका रिकॉर्ड दर्ज करने से इनकार करना उचित नहीं होगा। सबूत या इस खाते पर उसे आरोपमुक्त करना।

(पैरा 6).

अधिनियम की धारा 15(5) पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम और धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत श्री बी.एस. तेजी के न्यायालय के आदेश के संशोधन के लिए अतिरिक्त सत्र उप-न्यायाधीश, जो पूर्वी पंजाब शहरी प्रतिबंध अधिनियम, 1949, होशियारपुर के तहत किराया नियंत्रक की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, दिनांक 1 मार्च

1983 गवाह् को रिह्ा करना।

ज्ञान सिंह अटवाल, बनाम एस.एन. तिवारी और अन्य (एस.एस. सोढ़ी, जे.)

सिविल विविध. 1983 की संख्या 1229-सीआईआई

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि इस पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले अनुदान और/या कोई अन्य राहत दे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेश अंबा।

(1) एस. सैनी, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं 1 और 2 के लिए, उत्तरदाताओं के लिए।

प्रलय

(2) इस याचिका में जिस बात पर सवाल उठाया गया है वह किराया नियंत्रक, होशियारपुर का पूरी तरह से अस्थिर आदेश है, जिसमें एक गवाह को उसके साक्ष्य दर्ज किए बिना इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि वह "बार-बार की गई मांग के बावजूद शपथ लेने के लिए अनिच्छुक था।" उसे परामर्शदाता द्वारा"।

(3) मामले के अनुसार, जैसा कि याचिका में बताया गया है, गवाह चानन सिंह, सरपंच, जिला होशियारपुर की ग्राम पंचायत धूत कलां, कम्युनिस्ट पार्टी से थे। वह धर्म में विश्वास नहीं करता था और इसलिए, धर्म के नाम पर शपथ नहीं ले सकता था। हालाँकि, यह कहा गया है कि वह शपथ अधिनियम, 1969 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित प्रपत्र में गंभीर प्रतिज्ञान पर गवाह के रूप में एक बयान देने के लिए तैयार था। याचिकाकर्ता के वकील श्री सुरेश अंबा का तर्क था कि किराया नियंत्रक ने गवाह को "मैं जो कुछ कहूंगा, धरम नाल सच कहूंगा" के रूप में शपथ लेने की आवश्यकता देकर गलती की थी।

(4) अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ से पता चलेगा कि गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों को इसकी धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञान की शपथ लेना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 6 यह प्रावधान करती है कि धारा 4 के तहत की गई सभी शपथ और प्रतिज्ञान को अधिनियम की अनुसूची में दिए गए रूपों में से एक के अनुसार प्रशासित किया जाएगा, जैसा उचित हो, 'मामले की परिस्थितियों में। यहां ध्यान देने योग्य बात धारा की उप-धारा (1) का प्रावधान है

6 जो इस प्रकार है:-

6. (1) "बशर्ते कि यदि किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई गवाह शपथ या गंभीर प्रतिज्ञान पर किसी भी रूप में साक्ष्य देना चाहता है, जो उस वर्ग के व्यक्तियों के बीच आम है, या बाध्यकारी है, और न्याय के प्रतिकूल नहीं है या शालीनता और किसी तीसरे व्यक्ति को प्रभावित करने का इरादा न रखते हुए, न्यायालय, यदि वह उचित समझे, यहां पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, उसे ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देने की अनुमति दे सकता है।

(4) दूसरे शब्दों में, शपथ या प्रतिज्ञान का वह रूप जो एक गवाह को देना आवश्यक है, आवश्यक रूप से अनुसूची में दिए गए प्रारूप तक ही सीमित है। परंतुक के संदर्भ में, यह उन व्यक्तियों के वर्ग के लिए सामान्य रूप से भिन्न रूप में हो सकता है, जिनसे गवाह संबंधित है।

(5) इसके अलावा, यह भी अच्छी तरह से तय है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य में देखा था, (1) कि शपथ दिलाने में चूक, यहां तक कि एक वयस्क को भी, केवल गवाह की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है लेकिन उसकी योग्यता नहीं. वास्तव में अधिनियम की धारा 7 विशेष रूप से प्रदान करती है कि कार्यवाही और साक्ष्य किसी भी शपथ लेने या कोई प्रतिज्ञान करने की चूक या जिस रूप में शपथ या प्रतिज्ञान प्रशासित किया जाता है उसमें किसी भी अनियमितता से अमान्य नहीं होंगे। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह की चूक या अनियमितता गवाह के सच बताने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी। अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से सत्य बताने की सर्वोच्च बाध्यता दी गई है।

(6) इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में केवल अनियमितता जो एक गवाह कर सकता है या वास्तव में उसकी चूक या कोई शपथ लेने या कोई प्रतिज्ञान करने से इनकार करने से अदालत को इनकार करने का औचित्य नहीं होगा। उसके साक्ष्यों को दर्ज करने या इस संबंध में उसे आरोपमुक्त करने के लिए।

(7) विवादित आदेश कानून की दृष्टि से स्पष्ट रूप से गलत होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है और किराया नियंत्रक को कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

(8) याचिकाकर्ता इस याचिका की लागत का हकदार होगा। एस.सी.के.

(1) ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 54.

<u>स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा